7 अप्रैल, 2023 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जयंती के अवसर पर माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी का अभिभाषण

नमस्कार,
भारत की माननीय राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मु जी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा जी, माननीय केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू जी, गौहाटी उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता जी, गौहाटी उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सचिव, सभी सम्मानित अतिथिगण, देवियों और सज्जनों!

गौहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। कानूनी शिक्षा की पृष्ठभूमि वाले एक व्यक्ति के रूप में, यहां मुझे आमंत्रित किए जाने और माननीय राष्ट्रपति जी के साथ मंच साझा करने का अवसर पाकर मैं और भी प्रसन्न हूं।

आज माननीय राष्ट्रपति जी की गरिमापूर्ण उपस्थिति पर हम सभी को अपार हर्ष व गर्व है। अपने अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, गौहाटी उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होना - वास्तव में असम और असमवासियों के लिए इनके अटूट प्रेम और स्नेह का प्रमाण है।

माननीय गौहाटी उच्च न्यायालय की 75 वर्षों की गौरवशाली परंपरा रही है। 5 अप्रैल, 1948 को असम उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित, इसकी बहुत लंबी और समृद्ध विरासत है। सर रोनाल फ्रांसिस लॉज से, जिन्हें पहली बार असम उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, से लेकर वर्तमान माननीय मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता तक, पिछले 75 वर्षों में माननीय गौहाटी उच्च न्यायालय ने कई बदलाव देखे हैं। नामकरण में कई बदलावों के साथ और अंततः 2013 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में उच्च न्यायालयों की स्थापना के साथ, इस उच्च न्यायालय को असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करने वाले गौहाटी उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाने लगा।

हम इस बात से खुश हैं कि वास्तव में कुछ महान न्यायविदों ने इस माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में कार्य किया है। इसलिए, अब चूंकि यह 75 वर्ष का है, यह गर्व से दावा कर सकता है कि इसने कई न्यायाधीशों के साथ-साथ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बनाने में योगदान दिया है।

माननीय गौहाटी उच्च न्यायालय लोगों के अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के प्रति अपनी संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों ने हमारे देश में लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता की परंपराओं के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह उच्च न्यायालय कई ऐतिहासिक निर्णयों का गर्व से दावा कर सकता है, जिनका हमारे समाज पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा है।

मित्रों,

न्यायपालिका भारत की सबसे मूल्यवान और सम्मानित संस्थाओं में से एक है। इसके निष्पक्ष और स्वतंत्र कामकाज और कद ने लोकतांत्रिक दुनिया में भारत की विश्वसनीयता को बढ़ाया है। प्रत्येक भारतीय को न्यायपालिका पर गर्व है और उसके निर्णयों का सम्मान करता है। मूल्यों के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है। हमारा संवैधानिक ढांचा तीन स्तंभों यानी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका पर टिका है। इन तीन संस्थाओं की भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाने में हमारा संविधान शायद दुनिया का सबसे अच्छा दस्तावेज है।

मित्रों,

आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे देश में न्याय मिलने में देरी एक गंभीर चिंता का विषय है। प्राय: जो पीड़ित होते हैं वे हमारे समाज के सबसे गरीब और सबसे वंचित लोगों में से होते हैं। हमें मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए रास्ते तलाशने चाहिए। हम सभी को एक ऐसे दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए जो अदालती कार्यवाही को लंबा करने की रणनीति के बजाय आपात स्थिति में स्थगन को अपवाद बनाता है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि न्यायपालिका इस दिशा में आगे बढ़ रही है।

मुझे कहना होगा कि न केवल लोगों को न्याय दिलाना महत्वपूर्ण है, बल्कि वादकारी पक्षों को उनकी भाषा में समझने योग्य बनाना भी महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय अंग्रेजी में निर्णय देते हैं, लेकिन हम विविध भाषाओं वाले देश हैं। हो सकता है कि वादी अंग्रेजी से परिचित न हो और निर्णय के सूक्ष्म बिंदु उससे बच सकें। मुकदमेबाजी पक्ष इस प्रकार फैसले का अनुवाद करने के लिए वकील या किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होंगे। यह समय और लागत में जोड़ सकता है। हमारी कानूनी बिरादरी को एक मार्ग ढूँढने के लिए एक साथ बैठना चाहिए। यह सिर्फ एक सुझाव है। यह न्यायपालिका और कानूनी बिरादरी के लिए है कि वे इस पर चर्चा करें और उचित निर्णय लें।

हमारे नागरिकों को पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी और उन्हें कभी निराश नहीं करेगी। मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका हमारे लोगों की उच्च अपेक्षाओं पर हमेशा खरी उतरेगी। मुझे यह भी विश्वास है कि गौहाटी उच्च न्यायालय निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेगा।

देवियों और सज्जनों,

हमारे आजादी का अमृत महोत्सव के बाद, अब हमने अमृत काल की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी बहुत सही कहते हैं कि देश की अमृत यात्रा में 'ईज ऑफ जस्टिस' बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय हम सभी के लिए उन सभी क्षेत्रों पर अपनी ऊर्जा प्रदान करने का है जो लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं। इसलिए, हमें भारत को आने वाले शताब्दी वर्ष, यानी 2027 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्माण करना होगा। इस बड़े संकल्प को साकार करने के लिए हर क्षेत्र में हमें कड़े परिश्रम करने होंगे। आइए हम इस दिशा में सामूहिकता के साथ आगे बढ़ें।

मैं अंत में, गौहाटी उच्च न्यायालय के इस प्लेटिनम जुबली समारोह के पुनीत अवसर पर एक बार फिर से सभी न्यायाधीशों, बार के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और माननीय गौहाटी उच्च न्यायालय से जुड़े सभी व्यक्तियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं।

आप सभी का पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद।

जय हिंद।